

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

113 / 2015

रमेश कुमार बनाम श्योपतराम आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88-53-48-49 आर टी एक्ट

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी किए

04.09.2019

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस अधिवक्तागण पक्षकारान पर मनन किया। उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने अपनी बहस में राजीनामा अनुसार वाद-डिक्री करने हेतु निवेदन किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में वाद-पत्र वादी स्वीकार कर इसी अनुसार वाद डिक्री किये जाने पर कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया हैं। तथा वाद वादी डिक्री करने हेतु निवेदन किया हैं। ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा वाद वादी स्वीकार किया जाता हैं। चूंकि प्रतिवादी सं. 1-2 ने अपना हिस्सा अन्य सह कर्त्ताकार को दे दिया हैं। इसलिए पत्रावली से प्रतिवादी सं. 1-2 का नाम विलोपित किया जा चुका हैं। तथा प्रतिवादी सं. 1-2 को कोई अनुतोष नहीं दिया जाकर वाद-पत्र वादी निम्न अनुसार डिक्री किया जाता हैं कि-

1.) वादी रमेश कुमार उर्फ रमेशचन्द्र के नाम :- चक 239.500 आर.डी. तह. सूरतगढ के मु.नं. 23 कि.नं. 1ता25 की 4.048है0 कमाण्ड व 1.696 अनकमाण्ड भूमि।

2.) प्रतिवादी सं. 3 राजेन्द्र कुमार व प्रतिवादी सं. 4 साहबराम के नाम :- चक 5 एन.पी. तह. रायसिंहनगर के मु.नं. 5 के कि.नं. 3 की 0.038है. 8 की 0.073है, कुल 0.111है0, मु.नं. 28 के कि.नं. 18-19 प्रत्येक 0.253है. 20-21 प्रत्येक 0.228है., 22-23 प्रत्येक 0.253है. कुल 1.468 है, चक 5 एन पी खाता सं. 50/44 प.नं. 133/320 मु.नं. 59 के कि.नं. 1/1 ता 15/1 की कुल 2.530है. तथा इसी चक के खाता सं. 51/45 प.नं. 135/316 मु.नं. 37 कि.नं. 1 ता 25 की कुल 6.200है. कुल योग 10.309है. भूमि में राजेन्द्र कुमार 4.912है.भाग एवं साहबराम 5.397है.भाग संयुक्त खाता में

3.) प्रतिवादी सं. 5 ता 15 के नाम:- चक 5 एन पी के मु.नं. 5 के कि.नं. 9 की 0.127है, 12 की 0.253है, 19 की 0.253है, 22 की 0.253है, 23 की 0.253है, 24 की 0.253है, 25 की 0.187है कुल 1.579है. नहरी भूमि।

4.) प्रतिवादी सं. 16 लालचन्द के नाम :- चक 5 एन पी के मु.नं. 5 के कि.नं. 6 की 0.106है, 13 की 0.233है 14 की 0.253है, 15 की 0.253है, कुल 0.845है, मु.नं. 28 के कि.नं. 8 की 0.253है, 9 की 0.253है, 10 की 0.228है, कुल 0.734है, कुल योग 1.579है0 नहरी भूमि।

5.) प्रतिवादी सं. 17 निहालचन्द के नाम :- चक 5 एन. पी. के मु.नं. 5 के कि.नं. 4 की 0.101है, 5 की 0.215है, 6 की 0.147है, 7 की 0.253है, 8 की 0.129है. कुल 0.845है. व मु.नं. 28 के कि.नं. 1 की 0.228है, 2 की 0.253है. 3 की 0.253है. कुल 0.734है. कुल योग 1.579है नहरी भूमि।

(सिन्धीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

6.) प्रतिवादी सं. 18 देवीलाल के नाम :- चक 5 एन.पी.
के मु.नं. 5 के कि.नं. 13 की 0.020 है, 16 की
0.253 है, 17 की 0.253 है, 18 की 0.253 है, 25 की
0.066 है, कुल 0.845 है 0 व मु.नं. 28 के कि.नं. 11 की
0.228 है, 12 की 0.253 है, 13 की 0.253 है, कुल 0.734 है.
कुल योग 1.579 है 0 नहरी भूमि।

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को उनके आगे
अंकित भूमि का विभाजन कर खातेदार घोषित किया
जाता है।

तहसीलदार राजस्व रायसिहनगर/सूरतगढ़
उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें।
पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया।
पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिहनगर